प्रेस विज्ञप्ति

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन,2025
दिनांक 28.06.2025 को मतदान के निमित्त

दिनांक-27.06.2025

ई-वोटिंग: समावेशी लोकतंत्र की ओर एक कदम

राज्य निर्वाचन आयोग,बिहार हमेशा की तरह नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2025 को पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। आयोग मतदान प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी,भयमुक्त,उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सहभागिता के साथ सम्पन्न कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। निर्वाचन प्रक्रिया में प्रयुक्त तकनीकी नवप्रवर्तन जैसे ईवीएम से मतदान, मतदाता के सत्यापन हेतु एफआरएस (फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम) का उपयोग, मतदान केन्द्रों पर कृतिम बुद्धिमता (ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। ध्यातव्य है कि पूर्व के निर्वाचनों में बायोमेट्रिक और एफआरएस (FRS) से मतदाता की पहचान, ईवीएम (EVM) से मतदान, ब्रजगृह में डिजिटल लॉक, ओसीआर (OCR) से मतगणना और परिणाम एवं शत प्रतिशत डिजीटाइजेशन की सफलता बिहार के लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित हुई। आयोग एक बार फिर नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2025 में 'ई-वोटिंग' प्रणाली से मतदान करने को लेकर तत्पर है।

राज्य के 26 जिलों के 42 नगरपालिकाओं में कुल 136 पदों यथा वार्ड पार्षद के 121 पद, उप मुख्य पार्षद के 08 पद एवं मुख्य पार्षद के 07 पदों पर निर्वाचन सम्पन्न कराये जाएंगे। इसके अलावा 09 अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और 03 पदों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण निर्वाचन स्थगित किया गया है।

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2025 हेतु 489 मतदान केन्द्रों पर दिनांक 28.06.2025 को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक तथा जिन निर्वाचन क्षेत्रों में ई-वोटिंग हेतु मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है, ई-वोटिंग एप के माध्यम से मतदान पूर्वाह्न 7.00 से अपराह्न 1.00 बजे तक कर सकेंगे और मतगणना का कार्य दिनांक 30.06.2025 को प्रातः 8 बजे से निर्धारित की गयी है। नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2025 हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 538 है जिसमें 242 पुरूष और 296 महिला अभ्यर्थी शामिल है।

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2025 के लिए कुल मतदाताओं की संख्या 379674 है। जिसमें 197129 पुरूष मतदाता एवं 182539 महिला मतदाता और 12 अन्य मतदाता शामिल हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

ई-वोटिंग से मतदान की प्रक्रिया

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2025 हेतु पहली बार प्रयुक्त हो रहे "ई-वोटिंग" प्रणाली से कुल 40280 मतदाताओं ने सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण/निबंधन कराया है, जो पहली बार evoting SECBHR (नगरपालिका आम निर्वाचन 2025) एवं evoting SECBIHAR (नगरपालिका उप निर्वाचन 2025) मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे मतदान करेंगे।

शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ मतदान के लिए की गयी व्यवस्था

27.6.25

Scanned with OKEN Scanner

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2025 के दौरान मतदान प्रक्रिया की सफलतापूर्वक संचालन के लिए 489 पीठासीन पदाधिकारी और मतदान दल में कुल 2121 मतदान कर्मी सेवा में संलग्न रहेंगे।

मतदान केन्द्रों पर बलों की प्रतिनियुक्ति शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ मतदान सम्पन्न कराने के लिए निर्धारित मानक के अनुसार सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जिसमें 1502 पुलिस पदाधिकारी एवं 5047 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

मतदाता सत्यापनः बोगस वोटिंग रोकने हेतु पूर्व निर्वाचनों की भांति प्रत्येक मतदान केन्द्र पर FRS (फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम) से मतदाता का सत्यापन किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत यदि कोई मतदाता दुबारा मतदान करने आता है तो सत्यापन के क्रम में उसकी पहचान हो जायेगी। फर्जी (बोगस) मतदान का प्रयास होगा विफल, पकड़े जाने पर नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 462 तथा आई.पी.सी. 171डी, 171 एफ के तहत कार्रवाई की जाएगी।

लाईव वेबकास्टिंगः अति संवेदनशील / संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा सकें। वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग निर्वाची पदाधिकारी/जिला/आयोग स्तर पर गठित कंट्रोल रूम में MIS दल द्वारा लगातार की जाएगी।

कंट्रोल रूम का गठनः मतदान केन्द्र पर किसी भी गड़बड़ी की जानकारी, मतदाताओं की शिकायत आदि का अनुश्रवण निर्वाची पदाधिकारी /जिला/आयोग स्तर पर गठित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के दौरान किया जायेगा।

अन्य आवश्यक सुविधाएं

- आयोग की वेबसाईट पर निर्वाचन से संबंधित दिशा-निर्देश उपलब्धः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर निर्गत दिशा-निर्देशों और निर्वाचन प्रक्रिया के मानकों के अनुसार ही पंचायत उप निर्वाचन 2025 भी सम्पन्न कराया जायेगा। निर्वाचन संबंधित सभी अद्यतन दिशा- निर्देश आयोग के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।
- अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन सुविधाः कोई भी अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- मतदाता के लिए ऑनलाईन सुविधाः कोई भी मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्वाचक सूची में अपना नाम, मतदान केन्द्र का पता, मतदान का कार्यक्रम एवं अपने क्षेत्र के अभ्यर्थियों से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- टोल फ्री नंबर की सेवाः इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मतदाता/अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नंबर- **1800-3457-243** पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

(हस्ताक्षर) 27/6/25

अवर सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

Scanned with OKEN Scanner